तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए

मैंने अपीलांट के विद्वान वकील की बहस पर मनन किया तथा अपीलांट वकील द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। रेस्पो0 संख्या 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या 1091 निर्णय दिनांक 15.12.1978 में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता का नाम गेन्दया के स्थान पर दीन मोहम्मद करने हेतु निवेदन किया है। इस प्रकार रेस्पो0 संख्या 2 की उपरोक्त शुद्धी किये जाने में सहमति है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र एवं रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता का सही नाम सही नाम दीन मोहम्मद ही है। विवादित नामान्तरकरण संख्या 1091 में पटवारी द्वारा अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का नाम गेन्दया गलत अंकित किया गया है। अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1091 निर्णय दिनांक 15.12.1978 ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के नाम की सही जानकारी कर एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
25-4-25		

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अपीलांट वकील उपस्थित।

पूर्व में प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट पर बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तत्पश्चात् अपील पर बहस सुनी गई। विद्वान वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित कथनों का दोहरान किया एवं कथन किया कि नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने अपीलांट व रेस्पो0 के पिता के नाम की सही जांच नहीं की एवं सरसरी तरीके से ही नामान्तरकरण जेरे बहस तस्दीक कर दिया, जो निरस्त होने योग्य है।

अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का सजरा परिवार निम्नानुसार है–

गेन्दया (फोत)

↓

दीन मोहम्मद (फोत)

↓

अब्दुल गनी	अब्दुल शकूर	बावू खां
(रेस्पो0–1)	(रेस्पो0–2)	(अपीलांट)

अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता दीन मोहम्मद का गेन्दया के जीवनकाल में ही देहान्त हो गया, उस समय अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 कम उम्र के थे, जिनका पालन पालन पोषण उनके दादा गेन्दया ने ही किया, लेकिन जब गेन्दया का देहान्त हुआ तब पटवारी हल्का ने अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता दीन मोहम्मद के स्थान पर गेन्दया का नाम गलत दर्ज कर दिया और सरपंच, ग्राम पंचायत चौथ का बरवाड़ा ने भी बिना जांच किये ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया, जबकि अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता का नाम दीन मोहम्मद है, जिसकी पुष्टि मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड से होती है। अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की साबिक आराजीयात खसरा नंबर 165/2722 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 164/2717 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा के बने हाल नवीन खसरा नंबर 315 रकबा 0.71 है0, खसरा नंबर 315/4963 रकबा 0.19 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाड़ा ए में अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता का नाम गलत दर्ज होने से अपीलांट अपने हिस्से [illegible] लाभों से वंचित हो रहा है। अतः अपील पेश कर नि[illegible] अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई ज[illegible] 15.12.1978 वाके ग्राम [illegible] फरमाया जाकर अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता गेन्[illegible] के स्थान पर दीन मोहम्मद दर्ज कर नामान्तरकरण तस्दीक फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। रेस्पो0 संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.05.08 11:07:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner